भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती

(Recruit Train Deploy)

योजना

भर्ती–प्रशिक्षण–तैनाती योजना (Recruit Train Deploy – RTD Scheme)

परिचय

बिहार सरकार द्वारा एक नवीन पहल प्रारंभ की गई, जिसमें प्रशिक्षणकार्य की जिम्मेवारी स्वयं उद्योगों पर होगा जो कि कुशल कामगारों की मांग के अनुसार नवीनतम औद्योगिक मानदण्डों पर आधारित प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार किया जाता है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैं:

प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी करते हुए भर्ती करना, नियुक्ति पत्र में वेतन एवं कार्य का स्थान दिया जाना अनिवार्य (भर्ती), भर्ती किए गए अभ्यर्थियों का उद्योग विशेष कोर्स में स्थापित मापदण्डों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण (प्रशिक्षण), प्रशिक्षणोपरांत प्रमाणित अभ्यर्थियों को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में वर्णित बिन्दुओं के आलोक में तैनाती किया जाना आवश्यक (तैनाती)

प्रशिक्षणार्थी की आयु सीमा :

- 15 से 45 वर्ष के बिहार निवासी।

प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम योग्यता

- पाठ्यक्रम की आवश्यकता या योजना विशिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार।
- कुछ गंभीर रूप से वंचित समूहों या कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों / विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, बीएसडीएम द्वारा आवश्यक समझे जाने पर या राज्य सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।

उपलब्ध कोर्स

- सेक्टर स्किल काउंसिल से अनुमोदित पाठ्यक्रम या इण्डस्ट्री पार्टनर द्वारा निधारित पाठ्यक्रम।

प्रशिक्षण की अवधि

- न्यूनतम 200 घंटे : यद्यपि बिहार कौशल विकास मिशन की अनुमति से प्रशिक्षण की अवधि इण्डस्ट्री पार्टनर/प्लेसमेंट एजेन्सी / ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा प्रस्तावित निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 200 घंटे से कम भी हो सकती है।

रोजगार की अनिवार्यता

- न्यूनतम 80 प्रतिशत (एक बैच के कुल प्रमाणित उम्मीदवारों में से), वेतन रोजगार या स्वरोजगार होना चाहिए।
- सेवा शर्तों के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को पहले से, यानी भर्ती के समय ही सूचित किया जाना होगा। शर्तों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल होने चाहिए–
  सैलरी पैकेज, कार्य का कुल समय, नौकरी का स्थान, कार्य भूमिका अन्य सुविधाएं।